दिनांक 08.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–प्रादेशिक सेना (टेरीटोरियल आर्मी) में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले 03 व्यक्ति गिरफ्तार।

दिनाकः 08–06–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को प्रादेशिक सेना (टोरीटोरियल आर्मी) में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले 03 व्यक्तियों को फर्जी दस्तावेजों सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अजय कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम सैगई थाना मटसेना जिला फिरोजाबाद।

2– कुलवन्त सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी जीएमएस रघुनाथपुरा, हरीपुर पाटिल, सम्बा, जम्मू कश्मीर।

3– सुनील कुमार पुत्र रतनलाल सिंह निवासी रखकंगवाल,, सम्बा, साम्बा जम्मू और कश्मीर।

बरामदगीः–

1– 02 अदद आधार कार्ड

2– 01 अदद डीएल

3– 03 अदद एटीएम कार्ड

4– 01 अदद आयुष्मान कार्ड

5– 01 अदद वोटर कार्ड

6– 01 अदद कूटरचित नियुक्ति पत्र मय लिफाफा

7– 01 अदद गेट पास (मेडीकल टेस्ट)

8– 03 अदद मोबाइल फोन

9– रूपये 1630/–रूपये नकद

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –</u>आई0एस0बी0टी0 के पास टीपीनगर थाना क्षेत्र हरीपर्वत कमिश्नरेट आगरा गिर0 समय– 03.20 बजे, दिनांक–08–06–2025

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्रादेशिक सेना (टोरीटोरियल आर्मी) में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो नही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा इकाई को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन को विकसित कर कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त क्रम में दिनांक 08–06–2025 से एस0टी0एफ0 आगरा टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि सेना में टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले लोग टीपीनगर थाना क्षेत्र हरीपर्वत में मौजूद है, अगर जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है, उक्त सूचना पर निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा हे0का0 विमल कुमार, हे0का0 अंकित गुप्ता, मु0आ0 प्रदीप कुमार, का0 प्रदीप चौधरी की टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँच कर 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने साथी रंजीत यादव एवं दीपक कुमार शर्मा के माध्यम से फर्जी नोटीफिकेशन बैकेन्सी जारी कराते है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर एवं पंजाब क्षेत्र के युवकों को प्रादेशिक सेना (टोरीटोरियल आर्मी) में जी0डी0 पद पर भर्ती कराने के नाम पर उनसे 1–4 लाख रूपये तक दीपक कुमार शर्मा के खाते में ऑन लाइन ट्रान्सफर कराते है। जिसमें से दीपक शर्मा 30–50 हजार रूपये इनको देता है। अब तक दर्जनों युवको से ठगी कर चुके है। अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना हरीपर्वत कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0सं0 0196/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) 61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना इकोटेक–3</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 हजार 800 रूपये नगद**
- **सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.06.2025 को थाना इकोटेक–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूरजपुर से फेस–2 की तरफ जाने वाली सड़क पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शंकर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 09 हजार 800 रूपये नगद, सफेद धातु के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना इकोटेक–3 में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना इकोटेक–3 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना इकोटेक–3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शंकर निवासी ग्राम भाबोल थाना पिपरा पटना बिहार, हालपता कुलेसरा थाना इकोटेक–3 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—09 हजार 800 रूपये नगद।

2—सफेद धातु के आभूषण।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद प्रतापगढ़/थाना लालगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 हजार 250 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07/08.06.2025 को थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राईस मिल तिराहा, सलेम भदारी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त पंचलाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 06 हजार 250 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 46 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पंचलाल निवासी मेढ़ावां थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—चोरी के 06 हजार 250 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद अलीगढ़/थाना इगलास

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 60 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 21 हजार 200 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 07.06.2025 की रात्रि को थाना इगलास व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करवन नदी पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1—सद्दाम 2—नसीम 3—मुनेश बाबू उर्फ लल्ला उर्फ रामदास को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख 60 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी के 21 हजार 200 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना इगलास क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इगलास पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सद्दाम के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, फतेहगढ़, बदायूँ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स आदि के 16 अभियोग, अभियुक्त नसीम के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग एवं अभियुक्त मुनेश बाबू उर्फ लल्ला उर्फ रामदास के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ व बदायूँ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इगलास पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सद्दाम निवासी गढ़िया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायूं।

2–नसीम निवासी इस्लामनगर पंखा खेड़ा थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।

3–मुनेश बाबू उर्फ लल्ला उर्फ रामदास निवासी वार्ड नं0–8 थाना अलापुर जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख 60 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 21 हजार 200 रूपये नगद आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया

- **अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध पिस्टल 0.32 बोर**
- **06 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07/08.06.2025 को थाना अरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोगपुर अण्डरपास के पास से अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–मोन्टी 2–कृष्णा उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 अवैध पिस्टल 0.32 बोर, 06 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मोन्टी के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त कृष्णा उर्फ भूरा के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अरनिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोन्टी निवासी ग्राम क्यौली खुर्द थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

2—कृष्णा उर्फ भूरा निवासी ग्राम क्यौली खुर्द थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—04 अवैध पिस्टल 0.32 बोर।

2—06 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जीवित कारतूस।

————————